न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अवि गर्ग, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
15/2020	दावा 88 RTA	12.02.2020	13.02.2020

रामकुमार पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू
2. शकुन्तलादेवी पत्नी काशीराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू
–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह राठौड़ वादी
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी की पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 115 तादादी 5.4380 हैक्टेयर रोही भैरूंसर तहसील चूरू में स्थित चली आ रही है जो वादी की दादालाई सम्पत्ति है। वादी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद पैतृक इन्तकाल दर्ज करते समय वादी का घर परिवार में लाड़ प्यार से व आम बोलचाल की भाषा में पुकारा जाने वाला नाम रामकुंवार पुत्र गणेशाराम दर्ज हो गया जबकि वादी का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम रामकुमार पुत्र गणेशाराम है। वादी के आधार कार्ड सं. 870432154317, मतदाता पहचान पत्र सं. आर.जे./03/020/180025 आदि समस्त दस्तावेजों में वादी का सही नाम रामकुमार पुत्र गणेशाराम अंकित है। उक्त समस्त दस्तावेज वैध दस्तावेज हैं। उक्त गलत दर्ज नाम आज तक गलत ही दर्ज चला आ रहा है जिसे दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने वैध दस्तावेजों के अनुरूप सही करवाये। वादी ने प्रतिवादीगण को इस हेतु कई बार कहा व कहलवाया परन्तु दिनांक 03.02.2020 को प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया इसलिए वादी ने यह दावा न्यायालय में पेश किया है। उक्त इन्कारी दिनांक से वादी को विनाय दावा प्राप्त है। कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं इसलिए अदालतवाला को दावा हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः वादी की ओर से दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादी की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 115 तादादी 5.4380 हैक्टेयर रोही मौजा भैरूंसर में वादी का गलत दर्ज नाम रामकुंवार पुत्र गणेशाराम को हटाया जाकर सही व दुरूस्त नाम रामकुमार पुत्र गणेशाराम का अंकन राजस्व रिकार्ड में करने का आदेश तहसीलदार, चूरू को प्रदान किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

की प्रमाणित प्रतिलिपि

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित होकर कथन किया कि वादी का नाम शुद्ध किये जाने से राज्य सरकार को किसी प्रकार से राजस्व क्षति होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए वादी का नाम शुद्ध किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिसमें सशपथ अंकित किया कि दावा की मद संख्या 1 ता 9 मैंने मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सही एवं सत्य लिखवाई हैं जिन्हें मेरे शपथ पत्र का ही भाग पढ़ा व माना जावे। उक्त भूमि बाबत मेरा किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद नहीं चल रहा है। उक्त भूमि पूर्व में कहीं भी रहन नहीं है। इस भूमि बाबत किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।

उपस्थित पक्षकारों की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद जो विरासतन इन्तकाल दर्ज हुआ उसमें वादी का नाम रामकुंवार पुत्र गणेशाराम दर्ज हो गया जबकि वादी का सही व दस्तावेजी नाम रामकुमार पुत्र गणेशाराम है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से उसे केसीसी व अन्य राजकीय कार्यों में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी ने वादगत कृषि भूमि के समस्त खातेदारों व सम्बन्धित पक्षकारों को दावा में पक्षकार बनाते हुए अपने गलत दर्ज नाम को दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा पेश किया है जिसमें प्रतिवादीगण ने विरोध में कोई जवाबदावा या साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। वादी ने अपने दावा के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं शपथ पत्र पेश किये हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि वादी का सही नाम रामकुमार है। अतः दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम उक्त दस्तावेजों के मुताबिक रामकुंवार पुत्र गणेशाराम के स्थान पर रामकुमार पुत्र गणेशाराम अंकित करने का आदेश फरमाया जावे। पैरोकार ने अपनी संक्षिप्त बहस में कथन किया कि वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि में वादी का नाम उसके दस्तावेजों के अनुसार किया जाता है, तो राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की राजस्व क्षति होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए दावा पर कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ख.नं. 115 तादादी 5.4380 हैक्टेयर रोही ग्राम भैरूंसर में वादी का नाम रामकुंवार पुत्र गणेशाराम 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसको वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। वादी के आधार कार्ड सं. 870432154317, मतदाता पहचान पत्र सं. आर.जे./03/020/180025 आदि समस्त दस्तावेजों में वादी का सही नाम रामकुमार पुत्र गणेशाराम अंकित है। वादी ने अपना शपथ पत्र भी पेश किया है जिसमें उसमें सशपथ अंकित किया है कि उसके दावा कथनों में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार रहेगा। वादी ने वादगत कृषि भूमि के सह खातेदार व राजस्थान सरकार को प्रतिवादी पक्षकार बनाया है जिन्होंने दावा के विरोध में न तो जवाबदावा पेश किया है तथा ना ही कोई साक्ष्य पेश किया है तथा बहस में कथन किया है कि यदि दावा वादी स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरू

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 115 तादादी 5.4380 हैक्टेयर रोही ग्राम भैरूंसर में वादी का नाम रामकुंवार पुत्र

गणेशाराम 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसको वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में अपने आधार कार्ड सं. 870432154317, मतदाता पहचान पत्र सं. आर.जे. /03/020/180025 आदि की प्रतियां पेश की हैं जिनमें वादी का सही नाम रामकुमार पुत्र गणेशाराम अंकित है। दावा में प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है। पेश दावा व दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादी वादगत कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामकुंवार गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में सही नाम रामकुमार दर्ज है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजों व शपथ पत्र से वादी का दावा उसके पक्ष में प्रमाणित होता है। इसलिए दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि ख.नं. 115 तादादी 5.4380 हैक्टेयर रोही ग्राम भैरूंसर में वादी का नाम रामकुंवार पुत्र गणेशाराम 1/2 हिस्सा जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा खातेदार के स्थान पर रामकुमार पुत्र गणेशाराम 1/2 हिस्सा जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा खातेदार संशोधित करने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करने के निर्देश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री अवि गर्ग आर0ए0एस0

रामकुमार पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तह. व जिला चूरू (राज.)
–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू
2. शकुन्तलादेवी पत्नी काशीराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तह. व जिला चूरू
–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री विक्रमसिंह राठौड़ एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि ख.नं. 115 तादादी 5.4380 हैक्टेयर रोही ग्राम भैरूंसर में वादी का नाम रामकुंवार पुत्र गणेशाराम 1/2 हिस्सा जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा खातेदार के स्थान पर रामकुमार पुत्र गणेशाराम 1/2 हिस्सा जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा खातेदार संशोधित करने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करने के निर्देश दिये जाते हैं।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13 माह फरवरी सन् 2020 को जारी की गई।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू